रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 512] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 1986/अग्रहायण 19, 1908
No. 512] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 10, 1986/AGRAHAYANA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 905(अ) :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 में,—

(i) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4. निरीक्षण फीस :—प्रति परेषण न्यूनतम 30 रु. के अधीन रहते हुए, निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नलिखित दर से निरीक्षण फीस दी जाएगी, अर्थात् :—

मदें	नियम 3(क) के आधार पर किए गए निरीक्षण के लिए (परेषणानुसार निरीक्षण)	नियम 3(ख) के आधार पर किए गए निरीक्षण के लिए (प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली)
	प्रति कि.ग्रा. या उसके भाग	पैसा प्रति कि.ग्रा. या उसके भाग
(1) काजू की गिरियों के सभी ग्रेड (भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों के अतिरिक्त)	26	13
(2) भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियां	40	20

(ii) विद्यमान नियम 4 को नियम 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[फाइल संख्या 6(25)/86-ई आई एंड ई पी]

डी. पी. भागची, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.आ. 783 तारीख 1-3-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th December, 1986

NOTIFICATION

S. O. 905 (E):—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986, namely:—

1.(1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986,—

(i) after rule 3, the following shall be inserted, namely.—

"4. Inspection fee—Subject to a minimum of Rs. 30/- for each consignment, a fee at the following rates shall be paid by the exporters to the Agency as inspection fee, namely :—

Items	For inspection carried out on the basis of rule 3(a) (Consignmentwise Inspection)	For inspection carried out on the basis of rule 3(b) (In-process Quality Control System)
	(Paise per kg. or part thereof)	(Paise per kg. or part thereof)
1 2	3	4
(1) All grades of Cashew Kernels (Other than Roasted and Salted Cashew Kernels)	26	13

1	2	3	4
(2)	Roasted and Salted Cashew Kernels	40	20";

(ii) The existing rule 4 shall be renumbered as rule 5.

[F. No. 6(25)/86-EI&EP]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

Footnote : Principal rules were published vide S.O. 783 dt. 1-3-1986

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986